

गेहूँ एवं जौ संदेश

वर्ष 1

अंक 1

जून-दिसम्बर, 2012

विषय वस्तु

- गेहूँ की उन्नत किस्में
- 51वीं अखिल भारतीय गेहूँ एवं जौ कार्यशाला के दौरान पहचानी गई गेहूँ एवं जौ की किस्में
- माल्ट जौ के लिये उन्नत उत्पादन तकनीकें
- जौ की उन्नत किस्में

संपादक मंडल

अनुज कुमार
रणधीर सिंह
सत्यवीर सिंह
इन्दु शर्मा

प्रकाशक

इन्दु शर्मा
परियोजना निदेशक
गेहूँ अनुसंधान निदेशालय,
करनाल-132 001
हरियाणा, भारत

सम्पर्क-सूत्र

ई-मेल dwr@vsnl.com
wheatpd@gmail.com
pdwheat@gmail.com

दूरभाष : 0184-2267490

फैक्स : 0184-2267390

निदेशक की कलम से

गेहूँ अनुसंधान निदेशालय, करनाल देश में गेहूँ एवं जौ से संबंधित अनुसंधान की सर्वोच्च संस्था है। निदेशालय द्वारा पूरे देश में जौ तथा गेहूँ के अनुसंधान कार्यों का समन्वय किया जाता है। वर्ष 2011-12 के दौरान अब तक का सर्वाधिक गेहूँ उत्पादन 93.9 मिलियन टन हुआ। इसका श्रेय शोध से जुड़े वैज्ञानिकों, कृषि विभाग के अधिकारियों,



नीति नियंत्रणों तथा सर्वोपरि भारत के किसानों को दिया जाना चाहिए। निदेशालय के तत्वावधान में अब तक गेहूँ की लगभग 400 तथा जौ की 93 किस्मों का अनुमोदन विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों की विविध उत्पादन दशाओं के लिये किया गया है। साथ ही गेहूँ एवं जौ उत्पादन तकनीकों को विकसित करने तथा इन्हें कृषकों तक पहुँचाने का अहम कार्य भी किया जाता है। हाल ही में संपन्न 51 वीं अखिल भारतीय गेहूँ एवं जौ शोधकर्ताओं की कार्यशाला, जयपुर में सम्पन्न हुई जिसमें गेहूँ की किस्म डब्ल्यू.एच. 1105 उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र के लिए समय से एवं सिंचित दशा में बीजाई के लिए पहचानी गई। जौ की किस्मों में डी.डब्ल्यू. आर.बी. 91 एक महत्वपूर्ण किस्म है जो उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में देरी से बीजाई के लिए पहचानी गई है।

गेहूँ एवं जौ संदेश का प्रकाशन एक सराहनीय एवं रचनात्मक कार्य है। इसके माध्यम से गेहूँ एवं जौ पर हो रहे शोधकार्यों एवं तकनीकों की जानकारी दी जाएगी जिससे हमारे देश के किसान लाभान्वित होंगे। मैं इस पत्रिका के अनवरत प्रकाशन की कामना करती हूँ तथा संपादक मंडल को किसानों के लिए समर्पित इस प्रकाशन के प्रवेशांक की बधाई देती हूँ।

इन्दु शर्मा
(इन्दु शर्मा)

गेहूँ की उन्नत किस्में

अनुज कुमार, रणधीर सिंह, रमेश चन्द एवं जे के पाण्डेय

उत्पादन क्षेत्र	उत्पादन स्थिति	नई किस्में
उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र जम्मू कश्मीर (जम्मू और कठुआ जिलों को छोड़कर), हिमाचल प्रदेश (ऊना और पोंटा घाटी को छोड़कर), उत्तराखंड (तराई क्षेत्रों को छोड़कर), सिक्किम, पश्चिम बंगाल एवं पूर्वोत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्र	सिंचित/ वर्षा आधारित, समय से बीजाई (5500 फीट तक की ऊंचाई) सिंचित/ वर्षा आधारित, समय से बीजाई (5500 फीट से अधिक ऊंचाई) वर्षा आधारित सीमित सिंचाई, देर से बीजाई	वी एल 907, वी एल 738, वी एल 804, टी एल 2942 (ट्रिटिकेल) एच एस 507, एस के डब्ल्यू 196, वी एल 832, एच एस 365 एच पी डब्ल्यू 251, वी एल 829 वी एल 892, एच एस 490, एच एस 420
उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान (कोटा एवं उदयपुर को छोड़कर), पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के तराई क्षेत्र, जम्मू कश्मीर के जम्मू जनपद एवं कठुवा और हिमाचल प्रदेश के ऊना एवं पोंटा घाटी	सिंचित, समय से बीजाई सिंचित, देर से बीजाई वर्षा आधारित, समय से बीजाई	डब्ल्यू एच 1105, एच डी 2967, डी पी डब्ल्यू 621-50, पी बी डब्ल्यू 550, डी बी डब्ल्यू 17, पी डी डब्ल्यू 314 (इयूरम), पी डी डब्ल्यू 291 (इयूरम) पी बी डब्ल्यू 590, डब्ल्यू एच 1021, डी बी डब्ल्यू 16 पी बी डब्ल्यू 396
उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम एवं उत्तर पूर्वी राज्यों के मैदानी भाग	सिंचित, समय से बीजाई सिंचित, देर से बीजाई वर्षा आधारित, समय से बीजाई	डी बी डब्ल्यू 39, एच डी 2985, सी बी डब्ल्यू 38, राज 4120, के 307, एच डी 2824, एच डी 2733 डी बी डब्ल्यू 14, एन डब्ल्यू 2036 एच डी 2888, एम ए सी एस 6145
मध्य क्षेत्र मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान के कोटा एवं उदयपुर क्षेत्र तथा उत्तर प्रदेश का बुंदेलखण्ड क्षेत्र	सिंचित, समय से बीजाई सिंचित, देर से बीजाई वर्षा आधारित/सीमित सिंचाई, समय से बीजाई	एम पी ओ 1215 (इयूरम), एच आई 1544, जी डब्ल्यू 366, जी डब्ल्यू 322, एच आई 8381 (इयूरम) एम पी 1203, एच डी 2932, एच डी 2864, एम पी 4010 एच आई 1531 एवं एच आई 8627 (इयूरम)
प्रायद्वीपीय क्षेत्र महाराष्ट्र, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, गोवा एवं तमिलनाडु के मैदानी भाग	सिंचित, समय से बीजाई सिंचित, देर से बीजाई सीमित सिंचाई, समय से बीजाई वर्षा आधारित, समय से बीजाई	एम ए सी एस 6222, एच डी 2987, यू ए एस 415 (इयूरम), एम ए सी एस 2971 (डायकोकम), एच आई 8663 (इयूरम), डी डी के 1029 (डायकोकम), एन आई ए डब्ल्यू 917, डी डी के 1025 (डायकोकम), राज 4037, जी डब्ल्यू 322 ए के ए डब्ल्यू 4627, एच डी 2932, राज 4083, पी बी डब्ल्यू 533, एच डी 2833 एच डी 2987, पी बी डब्ल्यू 596, ए के डी डब्ल्यू 2997-16 (इयूरम)
दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र नीलगिरी एवं पालनी पर्वतीय क्षेत्र	सिंचित, समय से बीजाई	एच डब्ल्यू 2044 एवं एच डब्ल्यू 1085 (भवानी)
सभी क्षेत्र के लवणीय एवं क्षारीय (कल्लर) भूमियों के लिए	सिंचित, समय से बीजाई	के आर एल 210 एवं के आर एल 213

51वीं अखिल भारतीय गेहूँ एवं जौ कार्यशाला के दौरान पहचानी गई गेहूँ एवं जौ की किस्में

उत्पादन क्षेत्र	उत्पादन स्थिति	किस्म का नाम
गेहूँ		
उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र	समय से, सिंचित/वर्षा आधारित	एच पी डब्ल्यू 349
उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र	समय से, सिंचित देर से, सिंचित	डब्ल्यू एच 1105 डी बी डब्ल्यू 71, एच डी 3059
उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र	समय से, सिंचित	राज 4229
मध्य क्षेत्र	समय से, सिंचित देर से, सिंचित	एच आई 8713 (इयूरम) राज 4238, एम पी 3336
प्रायद्वीपीय क्षेत्र	समय से, सिंचित	डब्ल्यू एच डी 948
दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र	समय से, सीमित सिंचाई	एच डब्ल्यू 5216
जौ		
उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र	समय से, वर्षा आधारित	वी एल बी 118
उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र	देर से, सिंचित	डी डब्ल्यू आर बी 91
मध्य क्षेत्र	समय से, सिंचित	आर डी 2786
लवणीय/क्षारीय भूमियों के लिए	समय से, सिंचित	आर डी 2794

माल्ट जौ के लिये उन्नत उत्पादन तकनीकें

विष्णु कुमार, ए एस खरब, आर पी एस वर्मा, दिनेश कुमार एवं इंदु शर्मा

जौ विश्व की एक प्रमुख खाद्यान्न फसल है। भारत में जौ का उपयोग खाद्य, चारा एवं माल्ट के लिये किया जाता है। भारत में जौ के मुख्य उत्पादक राज्य राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं उत्तराखंड आदि हैं। वर्ष 2011-12 में भारत में लगभग 650 हजार हैक्टर भूमि से 1.61 मिलियन टन जौ का उत्पादन किया गया। भारत में लगभग 25-30 प्रतिशत जौ का उपयोग माल्ट बनाने में किया जाता है, जिससे विभिन्न उत्पाद जैसे स्वास्थ्यवर्धक पेय, बीयर, विभिन्न खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। माल्ट जौ के अधिक उत्पादन के लिए उत्पादन तकनीकी इस प्रकार है;

उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र के लिये माल्ट जौ की उत्पादन तकनीकें

तकनीकें	समय से बुवाई	देरी से बुवाई
उत्तम किस्में	डी डब्ल्यू आर यू बी 52, आर डी 2668, डी डब्ल्यू आर 28	डी डब्ल्यू आर बी 73, डी डब्ल्यू आर यू बी 64
बीजाई का समय	1 से 20 नवम्बर	5 से 20 दिसंबर
बीज का उपचार	बाविस्टिन/बीटावेक्स 2 ग्राम/किग्रा अथवा रेक्सिल 1 ग्राम/किग्रा	
बीज की मात्रा	100 कि.ग्रा./हैक्टर	100 कि.ग्रा./हैक्टर
लाइनों के मध्य की दूरी	18 से.मी.	18 से.मी.
उर्वरकों की मात्रा		
नाइट्रोजन	90 कि.ग्रा./हैक्टर (आधी बीजाई के समय एवं आधी पहली सिंचाई पर)	90 कि.ग्रा./हैक्टर (आधी बीजाई के समय एवं आधी पहली सिंचाई पर)
फॉस्फोरस	40 कि.ग्रा./हैक्टर (पूरी मात्रा बीजाई के समय)	40 कि.ग्रा./हैक्टर (पूरी मात्रा बीजाई के समय)
पोटाश	20 कि.ग्रा./हैक्टर (पूरी मात्रा बीजाई के समय)	20 कि.ग्रा./हैक्टर (पूरी मात्रा बीजाई के समय)
सिंचाई		
पहली सिंचाई	बीजाई के 30-35 दिन बाद	बीजाई के 30-35 दिन बाद
दूसरी सिंचाई	बीजाई के 65-70 दिन बाद	बीजाई के 65-70 दिन बाद
तीसरी सिंचाई	बीजाई के 95-100 दिन बाद	बीजाई के 95-100 दिन बाद
खरपतवार नियंत्रण		
चौड़ी पत्ती के लिए	मेटसल्यूरॉन (4 ग्राम) अथवा 2, 4-डी (500 ग्राम)	
संकरी पत्ती के लिए	पीनाक्साडेन (30-35 ग्राम)	
चौड़ी एवं संकरी पत्ती के लिए	उपरोक्त शाकनाशकों को बीजाई के 30-35 दिन बाद 400-500 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हैक्टर की दर से प्रयोग करें। पैन्डीमिथीलीन (1-1.5 लीटर) 400-500 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हैक्टर की दर से बीजाई के तुरंत बाद प्रयोग करें।	
फसल सुरक्षा		
पीला रतुआ	फोलिकर 250 ईसी अथवा बेलिटोन 25 डब्ल्यू पी, 500 मि.ली./500 लीटर पानी/हैक्टर प्रयोग करें।	
चेपा या माहू	रोगर 2 मि.ली./लीटर अथवा इमिडाक्लोपरिड 200 की 20 ग्राम/हैक्टर की दर से 1000 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें।	
कटाई का समय	मार्च के अंत में या अप्रैल के प्रथम सप्ताह में	अप्रैल के मध्य अथवा अंत में
कटाई की विधि	कम्बाईन हार्वेस्टर अथवा हाथ से कटाई	
भण्डारण	माल्ट जौ की जमाव क्षमता बनाए रखने के लिए उचित तापमान एवं नमी (12%) पर भंडारण करें।	

जौ की उन्नत किस्में

विष्णु कुमार, आर पी एस वर्मा, ए एस खरब, दिनेश कुमार एवं इंदु शर्मा

जौ भारत के प्रमुख खाद्यान्नों में से एक है। विश्व की खाद्यान्न फसलों में इसका चतुर्थ स्थान है। जौ की फसल से अधिक लाभ लेने हेतु यह अत्यंत आवश्यक है कि किसान भाई परिस्थिति अनुसार सही किस्मों का उपयोग करें। जौ की नवीन किस्में, उनकी उत्पादन स्थिति की उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार हैं—

उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र

समय से बीजाई एवं बारानी एच बी एल 276, बी एच एस 352, बी एच एस 380, यू पी बी 1008
द्विउपयोगी जौ (चारा एवं खाद्य) बी एच एस 380

उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र

समय से बीजाई एवं सिंचित आर डी 2552, आर डी 2035, बी एच 902
देरी से बीजाई एवं सिंचित आर डी 2508
समय से बीजाई एवं बारानी आर डी 2508, आर डी 2624, आर डी 2660
द्विउपयोगी जौ (चारा एवं खाद्य) आर डी. 2035, आर डी 2552
क्षारीय/लवणीय भूमि हेतु आर डी 2552, एन डी बी 1173

माल्ट जौ की किस्में

समय से बीजाई एवं सिंचित डी डब्ल्यू आर यू बी 52, आर डी 2668
देरी से बीजाई एवं सिंचित डी डब्ल्यू आर बी 73, डी डब्ल्यू आर यू बी 64

उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र

समय से बीजाई एवं सिंचित आर डी 2552, के 551
देरी से बीजाई एवं सिंचित आर डी 2508, एन बी 2
समय से बीजाई एवं बारानी आर डी 2508, के 560, के 603
क्षारीय/लवणीय भूमि हेतु आर डी 2552, एन डी बी 1173, एन बी 1, एन बी 3

मध्य क्षेत्र

समय से बीजाई एवं सिंचित जे बी 1, आर डी 2715, पी एल 751
समय से बीजाई एवं बारानी जे बी 58
द्विउपयोगी जौ (चारा एवं खाद्य) आर डी 2715

